<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>26.03.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स रेलिगेयर एवं अन्य के मामले में धन-शोधन के अपराध में शामिल संदिग्ध आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य से संबंधित **124.57 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के पॉश इलाकों में स्थित भूमि, फार्महाउस के रूप में हैं।

मैसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड, मैसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड एम3एम समूह, गुरुग्राम आधारित रियलटोर से संबंधित संस्थाएं हैं। गुरुग्राम/फरीदाबाद में एम3एम समूह की संस्थाओं से संबंधित 430 एकड़ भूमि को एम3एम समूह की कंपनियों के माध्यम से आने वाली अपराध की आय (पीओसी) के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

मैसर्स एम3एम इंडिया होल्डिंग्स के नाम से एक साझेदारी फर्म, जिसके साझेदार रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, आभा बंसल और पंकज बंसल हैं, को भूमि स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों की अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर मैसर्स लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में लोव इंफ्रा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाती है) को 726 करोड़ रुपए (लगभग) में बिक्री दिखाकर 500 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय (पीओसी) प्राप्त हुआ था।

ईडी की जांच में पता चला कि मैसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि की कीमत को मैसर्स एम3एम इंडिया होल्डिंग्स (आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व शेयरधारक) द्वारा लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जिसने रेलिगेयर समूह से इतनी ही राशि उधार ली थी से धनराशि निकालने के लिए जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था।

ईडी द्वारा रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य के मामले में जांच के दौरान 1 अभियोजन शिकायत और 2 पूरक अभियोजन शिकायतें माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं। ईडी ने मैसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के कॉरपोरेट लोन बुक धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय को कुर्क करने के लिए नवीनतम आदेश सहित 3 अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए हैं। ईडी ने पूर्व में मैसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मालविंदर मोहन सिंह से संबंधित 54 करोड़ रुपए और यूएसडी 1,50,00,000/- की संपत्ति क्रमशः वर्ष 2020 और 2021 में कुर्क की थी। भारत में कुर्क संपत्तियों की प्रकृति में भूमि और फार्महाउस शामिल हैं, जबकि विदेशी क्षेत्राधिकार में कुर्क संपत्तियों में एएक्सए चाइना इंश्योरेंस कंपनी (बरमूडा) लिमिटेड की रेलिगेयर समूह के पूर्व प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह से संबंधित एक बीमा पॉलिसी शामिल है।

आगे की जांच जारी है।

****